# BULANDSHAHR POLICE

## दिनांक 24 फरवरी, 2025

## "ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के 02 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. हरेन्द्र 2. मोहित पुत्रगण अजब सिंह निवासीगण ग्राम अस्तौली थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष- 2018 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र निवासी एक लड़की को शादी का झांसा देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 10.05.2018 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं– 373/2018 धारा 376/342 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 09.08.2018 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.02.2025 को न्यायाधीश श्री वरूण मोहित निगम(मा0 न्यायालय ए.डी.जे/एफटीसी 02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. हरेन्द्र व 2. मोहित को 07-07 वर्ष का कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय कुमार शर्मा व श्री ईशान चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सैल बुलन्दशहर।**